

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 2/2026

(Bank Case)

GCMS No. 2026/6

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय— मेंटर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कोलोनी, जयपुर— 302004 में स्थित व कार्यरत है। जर्ज प्राधिकृत अधिकारी श्री सतीश गौतम।

— प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

## बनाम

1. छीतरलाल पुत्र श्री श्याम लाल —(ऋणी / बंधककर्ता )  
पता— म०न०-690, ज्योति बाल विद्वया मंदिर, मोडक गांव, आदित्य नगर, तहसील— रामगंजमण्डी, कोटा (राज०)
2. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री छीतरलाल —(सह-ऋणी )  
पता— म०न०-690, ज्योति बाल विद्वया मंदिर, मोडक गांव, आदित्य नगर, तहसील— रामगंजमण्डी, कोटा (राज०)
3. ललित कुमार पुत्र श्री छीतरलाल —(सह-ऋणी )  
पता— म०न०-690, ज्योति बाल विद्वया मंदिर, मोडक गांव, आदित्य नगर, तहसील— रामगंजमण्डी, कोटा (राज०)
4. दिनेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल —(सह-ऋणी )  
पता— म०न०-690, ज्योति बाल विद्वया मंदिर, मोडक गांव, आदित्य नगर, तहसील— रामगंजमण्डी, कोटा (राज०)
5. रामकुमार पुत्र श्री धन्नालाल —(गारन्टर)  
पता— म०न०-7120, बाल विकास परिसर, मोडक गांव, तहसील— रामगंजमण्डी, कोटा (राज०)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:—

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 18.02.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसका जिसका ब्रांच ऑफिस— तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान—302001 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 25.09.2018 को रूपये 5,00,000/—रूपये (अक्षरे: पांच लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप मे छीतरलाल सेन पुत्र श्री श्यामलाल की सम्पत्ति पट्टा संख्या 4642, ग्राम मोडक गांव, ग्राम पंचायत मोडक गांव, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, कोटा (राज०) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में— भवानी शंकर का मकान, पश्चिम में— नारायण का मकान, उत्तर में— सीताराम माली का मकान, दक्षिण में— आम रास्ता, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 20.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 9,84,698/—(अक्षरे नो लाख, चौरासी हजार छ सौ अठानवें रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 28.07.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस

प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 30.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता छीतरलाल सेन पुत्र श्री श्यामलाल की सम्पत्ति पेट्टा संख्या 4642, ग्राम मोडक गांव, ग्राम पंचायत मोडक गांव, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, कोटा (राज0) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में- भवानी शंकर का मकान, पश्चिम में- नारायण का मकान, उत्तर में- सीताराम माली का मकान, दक्षिण में- आम रास्ता, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।  
आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।



(पीयूष सेमारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज0)